



सीएसआईआर—केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
कुकरैल पिकनिक स्पॉट रोड, लखनऊ 226015 (ऊ.प्र)
CSIR – CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
(Council of Scientific and Industrial Research)
KUKRAIL PICNIC SPOT ROAD,
LUCKNOW-226015, U.P., INDIA



Detailed notice inviting e-tender
ई-निविदा आमंत्रित करने की विस्तृत सूचना

No.: CIMAP/Gen./Vehicle/2026

दिनांक: 25.06.2026

Empanelment of agencies for Providing of taxi/vehicle services

1. E-tenders in two Bid System (Part I. Technical & Part II. Financial) are invited from reputed/ interested agencies located in Lucknow for providing Taxis/vehicles services on day-to-day basis for official use. The duly completed tender form along with required documents duly signed are to be uploaded on (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>).

दो बिड प्रणाली (भाग I. तकनीकी और भाग II. वित्तीय) के तहत लखनऊ में स्थित प्रतिष्ठित/इच्छुक एजेंसियों से कार्यालयीन उपयोग के लिए दैनिक आधार पर टैक्सी/वाहन सेवाएं प्रदान करने हेतु ई-निविदाएं (E-tenders) आमंत्रित की जाती हैं। विधिवत भरे हुए निविदा फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों (हस्ताक्षरित) के साथ (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर अपलोड किये जाएंगे।

क्रम.सं	कार्य का नाम	निविदा की अनुमानित लागत (रु.)	निविदा दस्तावेज की लागत (रु.)	BSD बीएसडी	ई- निविदा की अंतिम तिथि	तकनीकी बिड खोलने की तिथि
1	टैक्सी/वाहन सेवाएं प्रदान करना Providing Taxi /Vehicle Services	रु. 40 लाख Rs. 40 Lakh	निल Nil	BSD	As Per Gem- CPP Portal	As Per Gem- CPP Portal

Controller of Administration

CONTENTS OF TENDER DOCUMENT
निविदा दस्तावेज़ की विषय-वस्तु

Sl. No.	Description of contents	Page No.
1.	कार्य का दायरा और निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश / Scope Of Work And General Instructions For Tenderers	3
2.	पार्ट- I में 'तकनीकी बिड' में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे / Part-I Technical bid shall contain the following.	4-5
3.	नियम और शर्तें / Terms & Conditions.	6-10
4.	तकनीकी बिड / Technical Bid	11-12
5.	घोषणा / Declaration	12
6.	आर्थिक बिड / Financial Bid	13-15
7.	अंडरटेकिंग / Undertaking	16
8.	समझौता / AGREEMENT	17-24
9.	Proforma for BLACKLISTING/NON-BLACKLISTING (Annexure-I)	25
10.	Proforma for Bid Security Declaration (Annexure-II)	26
11.	Proforma for NO NEAR RELATIVE (S) OF THE CONTRACTOR (Annexure-III)	27

SCOPE OF WORK AND GENERAL INSTRUCTIONS FOR TENDERERS

कार्य का दायरा और निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

1. CSIR-CIMAP, Lucknow requires the services of a reputed, well-established and financially sound taxi service provider (hereinafter referred to as "Service Provider") to provide rental/commercial taxi services for Lucknow & PAN India.

सीएसआईआर-सीमैप (CSIR-CIMAP), लखनऊ को लखनऊ और अखिल भारतीय स्तर (PAN India) पर रेंटल/कमर्शियल टैक्सी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रतिष्ठित, सुस्थापित और आर्थिक रूप से सुदृढ़ टैक्सी सेवा प्रदाता (इसके बाद "सेवा प्रदाता" के रूप में संदर्भित) की सेवाओं की आवश्यकता है।

2. The Contract shall be for a period of (2) year format from the date of award of work.

अनुबंध कार्य आवंटन की तिथि से (2) वर्ष के प्रारूप की अवधि के लिए होगा।

3. The quantum of requirement of vehicles on Daily Basis will be depending upon the needs of CSIR-CIMAP.

दैनिक आधार पर वाहनों की आवश्यकता की मात्रा सीएसआईआर-सीमैप की जरूरतों पर निर्भर करेगी।

4. The bids shall be accepted under Two Bid System. Interested service providers have to submit/upload the Technical Bid and the Financial Bid on <https://etenders.gov.in/eprocure/app>.

बोलियां दो-बोली प्रणाली (Two Bid System) के तहत स्वीकार की जाएंगी। इच्छुक सेवा प्रदाताओं को <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा/अपलोड करनी होगी।

5. Conditional bids shall not be considered and will be summarily rejected.

सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6. No correction, either in the Technical Bid or in the Financial Bid, is permitted after opening of bid. In no case should there be any change in the format. Bids not submitted in the prescribed proforma will be rejected.

बोली खुलने के बाद तकनीकी बोली या वित्तीय बोली में किसी भी सुधार की अनुमति नहीं है। किसी भी स्थिति में प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। निर्धारित प्रोफार्मा में जमा नहीं की गई बोलियां खारिज कर दी जाएंगी।

7. The financial bids of only those service providers will be opened who qualify in the Technical Bid.

केवल उन्हीं सेवा प्रदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोली में योग्य पाए जाएंगे।

8. No service provider will be allowed to withdraw its bid after the technical bids have been opened.

तकनीकी बोलियां खुलने के बाद किसी भी सेवा प्रदाता को अपनी बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. The firm for award of contract (Lowest Quoted Firm - L1) will be decided as per the procedure outlined under the relevant para of this tender document.

अनुबंध आवंटन के लिए फर्म (न्यूनतम बोली वाली फर्म - L1) का निर्णय इस निविदा दस्तावेज के संबंधित पैरा के तहत उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

10. Vehicles provided should not be more than 05 (Five) years old at the time of deployment. Interiors must be neat and clean. Drivers must wear uniform during services.

तैनात किए जाने वाले वाहन 05 (पाँच) वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। वाहनों का इंटीरियर साफ-सुथरा होना चाहिए। सेवा के दौरान ड्राइवरों को वर्दी पहननी अनिवार्य है।

11. CSIR-CIMAP may depute authorized officer/team to physically inspect vehicles and/or office premises before evaluating technical bids.

सीएसआईआर-सीमैप तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन से पहले वाहनों और/या कार्यालय परिसर का भौतिक निरीक्षण करने के लिए अधिकृत अधिकारी/टीम को नियुक्त कर सकता है।

पार्ट- I में 'तकनीकी बिड' में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

Part-I Technical bid shall contain the following:

1. Copy of registration No. / License No. of Firm.
फर्म के पंजीकरण संख्या / लाइसेंस संख्या की प्रति।
2. Annual average Turnover of Rs. 20 lakh (50% of the estimated cost) of the agency for last three years (along with proof). The tenderer should have to upload/submit experience certificate of having successfully completed similar works/contracts of Government Departments/Public Sector - Central or State corporations/Public Sector Banks/ Autonomous Bodies during last 05 (five) years which should be either of the following: Three works for each costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost i.e. Rs. 16,00,000/- (Rupees Sixteen Lakhs only) each OR Two works for costing not less than amount equal to 50% of the estimated cost i.e. Rs. 20,00,000/- (Rupees Twenty Lakhs only) each OR One work for costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost i.e. Rs. 32,00,000/- (Rupees Thirty-Two Lakhs only). Documentary evidence for the above should be uploaded on bid without which the e-tender is liable for rejection at the discretion of CSIR-CIMAP, Lucknow without assigning further reasons thereof.
पिछले तीन वर्षों के लिए एजेंसी का वार्षिक औसत टर्नओवर 20 लाख रुपये (50% अर्थात रु. 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) (प्रमाण के साथ)। निविदाकर्ता को पिछले 05 (पांच) वर्षों के दौरान सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र-केंद्रीय या राज्य निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/स्वायत्त निकायों के समान कार्यों/अनुबंधों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड/प्रस्तुत करना होगा जो कि निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए : प्रत्येक के लिए तीन कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 40% अर्थात रु. 16,00,000/- (रुपये सोलह लाख मात्र) से कम न हो प्रत्येक कीमत के लिये या दो कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम न हो अर्थात रु. 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) प्रत्येक कीमत के लिये या एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% अर्थात रु. 32,00,000/- (रुपये बत्तीस लाख मात्र) से कम न हो। उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य बिड (Bid) पर अपलोड किया जाना चाहिए जिसके बिना सीएसआईआर-सीमैप, लखनऊ के निर्णय पर ई-निविदा को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है।
3. Copy of Income Tax Return for the last three Financial Year. i.e., 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025.
पिछले तीन वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति
4. Copy of Registration No./License No. of the firm (if any).
फर्म के पंजीकरण संख्या/लाइसेंस संख्या की प्रति (यदि कोई हो)।
5. Copy of PAN Number.
पैन संख्या की प्रति।
6. Copy of Goods & Service Tax Number.
वस्तु एवं सेवा कर संख्या की प्रति।
7. An undertaking that the agency has not been blacklisted/services have not been terminated by any Government Department / autonomous bodies, CSIR or any of its laboratories as on the date of submission of the bid. **(To be executed on Rs. 100/- e-stamp paper)**
एक वचन पत्र कि एजेंसी को किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय, सीएसआईआर या उसके किसी भी प्रयोगशाला द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है/सेवाएं बिड (Bid) प्रस्तुत करने की तिथि तक समाप्त नहीं की गई हैं। **(To be executed on Rs. 100/- e-stamp paper)**
8. Copy of Partnership Deed, in case of Partnership Firm and detailed of Authorized Signatory (ies).
पार्टनरशिप फर्म के मामले में पार्टनरशिप डीड की प्रति और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) का विवरण।
9. The agency must have atleast 4 vehicles (2 SUV & 2 Sedan) in the name of owner/agency/firm of the model of the year 2023 onwards. Copy of Registration Certificate to be uploaded. The Vehicles must be registered as commercial vehicles. एजेंसी /फर्म के नाम पर वर्ष 2023 या उसके बाद की कम से कम चार पंजीकृत वाहन (02-एसयूवी, 02-सेडान) होना चाहिए। पंजीकरण की प्रति संलग्न करें। वाहन का कमर्शियल पंजीकरण अनिवार्य है।
10. The Agency must have registered office & Garage Facility at Lucknow and the proof must be enclosed. एजेंसी का लखनऊ में रजिस्टर्ड कार्यालय और गैराज होना अनिवार्य है जिसका साक्ष्य संलग्न किया जाए।
11. Copy of Bid Security Declaration.
बोली सुरक्षा घोषणा की प्रति।
12. Bid documents/Tender document downloaded from portal should be completed, duly filled and signed on each page and should be submitted/updated online.
पोर्टल से डाउनलोड किए गए बिड दस्तावेज़/टेंडर दस्तावेज़ पूरी तरह से भरे हुए और हर पेज पर हस्ताक्षरित होने चाहिए, और उन्हें ऑनलाइन जमा/अपडेट किया जाना चाहिए।
13. Copy of duly filled-up proforma for no near relatives(s) (as per Annexure-III of NIT) should be submitted/uploaded. **(To be executed on Rs. 10/- e-stamp paper)**

कोई निकट संबंधी न होने संबंधी विधिवत भरा हुआ प्रोफार्मा (NIT के अनुबंध-III के अनुसार) की प्रति जमा/अपलोड की जानी चाहिए। (To be executed on Rs. 10/- e-stamp paper)

नोट / Note:

- The bids are to be submitted through online portal (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) on or before as Per GEM-CPP Portal. Technical Bids will be opened online on as Per GEM-CPP Portal. In case of any holiday on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time but the tender box will be sealed on same day and time, as scheduled above. Price Bid (Cover II) of those firm(s) will be opened who is/are declared eligible after Technical Evaluation.
बिड्स ऑनलाइन पोर्टल (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) के माध्यम से जेम-सीपीपी पोर्टल के अनुसार तक या उससे पहले प्रस्तुत की जानी हैं। तकनीकी बोलियां जेम-सीपीपी पोर्टल के अनुसार ऑनलाइन खोली जाएंगी। निविदाएं खोलने के दिन किसी अवकाश के मामले में, निविदाएं अगले कार्य दिवस को उसी समय पर खोली जाएंगी, लेकिन निविदा पेटी को उसी दिन और समय पर सील कर दिया जाएगा, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन के बाद पात्र घोषित की गई फर्मों की मूल्य बिड (कवर II) खोली।
- Further amendments/extension of date, if any, will be hosted on GEM-CPP Portal. तारीख में और संशोधन/विस्तार, यदि कोई हो, को जेम-सीपीपी पोर्टल पर होस्ट किया जाएगा।
- NIT is also available on CSIR-CIMAP website <https://cimap.res.in/>. एनआईटी सीएसआईआर-सीमैप की वेबसाइट <https://cimap.res.in/> पर भी उपलब्ध है।

प्रशासन नियंत्रक



भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान लखनऊ
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
कुकरैल पिकनिक स्पॉट रोड, लखनऊ 226015 (ऊ.प्र)

CSIR – CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
(Council of Scientific and Industrial Research)
KUKRAIL PICNIC SPOT ROAD,
LUCKNOW-226015, U.P., INDIA



E-tenders are invited from reputed Transport Agency/fleet owners who are located in Lucknow, having capacity to supply the required numbers of A/C vehicles on daily basis for the use of CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, CIMAP, Near Kukrail Picnic Spot, Lucknow-226015, Uttar Pradesh, India for empanelment of firms/agencies for a period of two year on outsourcing basis through GEM-CPP Portal (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>).

सीएसआईआर- केन्द्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान, कुकरैल पिकनिक स्पॉट के पास, लखनऊ-226015 के उपयोग हेतु प्रतिदिन के आधार पर ए/सी वाहनों की आवश्यक संख्या की आपूर्ति करने की क्षमता रखने वाले लखनऊ में स्थित प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टरो/बेड़ा मालिकों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। फॉर्म/एजेसियों का नामांकन जेम-सीपीपी पोर्टल (www.etenders.gov.in) के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

- a. Cost of Tender document: **NIL** and Earnest Money (EMD) in the form of Bid Security Declaration

निविदा की लागत: निल

Last Date of submission of E-Tender is as Per GEM-CPP Portal. The tenders will be opened on as Per GEM-CPP Portal. If the date of opening of tender happens to be a holiday, then the tenders will be deposited/opened on next working day. The tenders shall only be accepted through GEM-CPP Portal (www.etenders.gov.in).

ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि जेम-सीपीपी पोर्टल के अनुसार तक है। निविदाएं जेम-सीपीपी पोर्टल के अनुसार खोली जाएंगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस में जमा करायी/खोली जायेंगी। निविदाएं केवल जेम-सीपीपी पोर्टल (www.etenders.gov.in) के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी।

नियम और शर्तें :-

Terms & Conditions:-

1. The contract shall be valid for a period of Two year. The Institute reserves the right to curtail the contract which is at the discretion of the Director, CSIR- CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, Lucknow. However, the agreement may be extended for another period of one-year subject to satisfactory performance of the services and on such terms and condition mutually agreed upon. अनुबंध दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। संस्थान के पास अनुबंध को कम करने का अधिकार सुरक्षित है जो निदेशक, सीएसआईआर- केन्द्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के निर्णय पर है। हालाँकि कार्य संतोषजनक होने पर, इस तरह के नियमों और शर्तों पर आपसी सहमति से समझौते को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. The tenderer should have the experience of providing similar services in any of the Institutes/Autonomous Institutions/Universities/Public Sector Undertakings of the Government of India or any other State/Central Government or Public Sector Banks or Corporate Sector Bodies/Municipalities for at least last three consecutive years and having annual average turnover Rs. 20,00,000/- or more during the last three financial years. निविदाकर्ता को भारत सरकार के किसी भी संस्थान/स्वायत्त संस्थान/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य राज्य/केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या कॉर्पोरेट क्षेत्र के निकाय/नगर पालिका में समान सेवाएं प्रदान करने का कम से कम पिछले लगातार तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक औसत कारोबार रु. 20,00,000/- या उससे अधिक होना चाहिए।
3. The order for providing taxis on hire basis may be given to the agency which has quoted the lowest rates while meeting all the terms and conditions laid by CSIR-CIMAP. However, to safeguard against failure by such agency to provide desired number of vehicles, the CSIR-CIMAP may be empanelled other tenderers who are prepared to provide the services as per same terms and conditions of L-1

Party. भाड़े के आधार पर टैक्सी उपलब्ध कराने का आदेश उस एजेंसी को दिया जा सकता है जिसने सीएसआईआर-सीमैप द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हुए सबसे कम दरें उद्धृत की हैं। हालांकि, ऐसी एजेंसी द्वारा वांछित संख्या में वाहन प्रदान करने में विफलता के खिलाफ सुरक्षा के लिए, सीएसआईआर-सीमैप अन्य निविदाकारों को सूचीबद्ध कर सकता है जो एल-1 पार्टी के समान नियमों और शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

4. Contract agreement will be signed with the agency, which quotes the lowest while meeting all the terms and conditions laid down by CSIR-CIMAP;
एजेंसी के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो कि सीएसआईआर-सीमैप द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हुए सबसे कम बोली लगाता है;
5. A panel may be drawn from the other bidders who are prepared to provide services terms and conditions as that of L-1 (firm who has quoted the lowest rates) tenderer.
अन्य बोलीदाताओं से एक पैनल तैयार किया जा सकता है जो कि एल-1 (फर्म जिसने सबसे कम दरें उद्धृत की हैं) की तरह सेवा नियम और शर्तें प्रदान करने के लिए तैयार हैं।
6. The Tenderer shall deposit Bid Security Declaration (Annexure-C of Tender Document) along with the Technical Bid. The bid will remain valid for a period of 90 days beyond the final bid.
7. validity period. Bid Security Declaration as applicable, must be uploaded on GeM portal.
8. The firm whose tender is accepted shall submit the Security deposit for an amount of Rs. 1,20,000/- (3% of the estimated Tender Amount) in the form of Demand Draft or FDR in favour of Director, CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, Lucknow and execute an agreement with the Institute within 10 days from the date of issue of offer of work order by the Institute on a non-judicial stamp paper of Rs.100/-only. The right of action will rest with the authority entering into the agreement.
जिस फर्म की निविदा स्वीकार की जाती है, वह निदेशक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर के रूप में रु. 1,20,000/- (अनुमानित निविदा राशि का 3%) की राशि निदेशक, केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ सुरक्षा राशी के रूप में जमा करेगी। और संस्थान द्वारा कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर केवल 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर संस्थान के साथ एक अनुबंध निष्पादित करें। कार्रवाई का अधिकार समझौते करने वाले के पास रहेगा।
9. Security deposit will remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations. No interest will be payable on this amount.
सुरक्षा जमा राशि सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. The agreement will be signed only after furnishing of Security deposit. In case of breach of agreement/contract by the contractor, the Security deposit shall be forfeited by the Institute in addition to the termination of contract.
जमानत राशि जमा कराने के बाद ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा समझौते/अनुबंध के उल्लंघन के मामले में, अनुबंध की समाप्ति के अलावा संस्थान द्वारा सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. The Contractor/firm will have to provide the replacement of driver in case of any eventuality. The Institute has the right to ask the Contractor for removal of any driver, who is not found competent or disciplined.
किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में ठेकेदार/फर्म को चालक के स्थान पर प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा। संस्थान के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी चालक को हटाने के लिए ठेकेदार से कह सकता है, जो सक्षम या अनुशासित नहीं पाया जाता है।
12. The contractor shall be responsible for total maintenance of the vehicles provided by him. All the vehicles provided should be in good running condition.
ठेकेदार उसके द्वारा प्रदान किए गए वाहनों के पूर्ण रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। प्रदान किए गए सभी वाहन अच्छी चलने वाली स्थिति में होने चाहिए।
13. In case of breakdown of any vehicle, the contractor/firm shall replace the breakdown vehicle within one hour failing which Director, CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, Lucknow has the right to hire vehicle from any other source. The difference of rate and penalty of Rs 1000/- each time will be levied from the firm.
किसी वाहन के खराब होने की स्थिति में ठेकेदार/फर्म को एक घंटे के भीतर खराब वाहन को बदलना होगा, ऐसा न करने पर निदेशक, केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ को किसी अन्य स्रोत से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होगा। फर्म से प्रत्येक बार दर के अन्तर एवं रू 1000/- का अर्धदण्ड लगाया जायेगा।
14. The contractor shall not employ any person who has not completed eighteen years of age.
ठेकेदार किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो।
15. The Institute will be under no legal obligation to provide employment to any of the personnel of the contractor after expiry of agreement period and the Institute recognizes no employer-employee relationship between the Institute and the personnel deployed by the contractor/agency.

संस्थान अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को रोजगार प्रदान करने के लिए किसी भी कानूनी दायित्व के तहत बाध्य नहीं होगा एवं संस्थान और ठेकेदार/एजेंसी द्वारा तैनात कर्मियों के बीच किसी भी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को मान्यता नहीं देता है।

16. Any person who is in Government service or an employee of this Institute should not be made partners to the contract by the contractor directly or indirectly in any manner whatsoever.
कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है या इस संस्थान का कर्मचारी है किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार द्वारा अनुबंध में भागीदार नहीं बनाया जाना चाहिए।
17. The contractor shall indemnify the Institute against all other damages/charges for which the Government/Institute may be held liable or pay on account of the negligence of the contractor or his staff or any person under his control whether in respect of accident/injury to the person or damages to the property of any member of the public or any person or in executing the work or otherwise and against all claims and demand thereof. The Institute shall not be responsible financially or otherwise for any injury to the driver or person deployed by the contractor during the course of performing the duties.
ठेकेदार संस्थान को अन्य सभी नुकसानों/प्रभारों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जो कि ठेकेदार या उसके कर्मचारियों या उसके नियंत्रण में किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुए हों एवं जिसके लिए सरकार/संस्थान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है चाहे वह दुर्घटना/चोट के संबंध में हो या व्यक्ति को या जनता के किसी सदस्य या किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान या कार्य को निष्पादित करने में हो। कर्तव्यों के पालन के दौरान ठेकेदार द्वारा तैनात ड्राइवर या व्यक्ति को किसी भी चोट के लिए संस्थान वित्तीय या अन्य किसी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।
18. The Director, CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, Lucknow reserves the right to terminate the contract without assigning any reason by giving the notice of 30 days to the contractor.
निदेशक केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के पास ठेकेदार को 30 दिनों का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
19. Vehicles provided by the firm to the Institute should bear commercial Taxi Cab Registration Numbers and should have comprehensive insurance and Drivers so provided with the vehicles shall have commercial **LMV/HMV** Driving License.
फर्म द्वारा संस्थान को प्रदान किए गए वाहनों पर वाणिज्यिक टैक्सी कैब पंजीकरण संख्या होनी चाहिए और व्यापक बीमा होना चाहिए और वाहन प्रदान करने वाले चालकों के पास वाणिज्यिक एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
20. The vehicles should conform to the Pollution norms prescribed, if any, by the Transport Department of Government of Utter Pradesh.
वाहनों को उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानदंडों, यदि कोई हो, की पुष्टि करनी चाहिए।
21. The contractor shall provide vehicles as per requirement of the Institute.
संस्थान की आवश्यकता के अनुसार ठेकेदार वाहन उपलब्ध कराएगा।
22. The vehicle and Driver shall remain available all the time as per Duty Roster and shall not leave place of duty without prior permission.
वाहन और चालक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेंगे और बिना पूर्व अनुमति के ड्यूटी के स्थान को नहीं छोड़ेंगे।
23. Operation and function of vehicles and Drivers shall be governed by Motor Vehicles Act/Motor Vehicles Rules and Utter Pradesh Motor Vehicles Rules and these shall be the responsibility of the contractor.
वाहनों एवं चालकों का संचालन एवं कार्य मोटर वाहन अधिनियम/मोटर वाहन नियमावली एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली द्वारा शासित होगा एवं इनका उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
24. There will be no dead mileage. The Kilometre readings for the purpose of “vehicle run” and “hours of duty” shall be reckoned from the point of reporting for duty to the point of vehicle released. The point of reporting for duty/point of vehicle released shall be decided by the Competent Authority.
किसी प्रकार का dead mileage देय नहीं होगा। गाड़ी चलने की किलोमीटर रीडिंग की गणना और समय गाड़ी के रिपोर्टिंग स्थान से प्रारम्भ होगी और गाड़ी को मुक्त किए जाने के स्थान पर समाप्त होगी। गाड़ी के रिपोर्टिंग स्थान और गाड़ी को मुक्त किए जाने का स्थान सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
25. Toll Tax, Parking fee etc. shall be paid by the agency which will be reimbursed on production of receipt. टोल टैक्स, पार्किंग फीस आदि का भुगतान एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, जिसको टैक्सी बिल में रशीद जमा करने पर प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।
26. No advance payment will be made. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
27. Duty Slips/Movement Slips will be signed by the officer with whom the vehicles are attached for duty on day to day basis. No duty slip shall be entertained unless and until the same is certified/verified by the concerned officer. ड्यूटी पर्चियों/आवागमन पर्चियों पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके साथ वाहनों को दैनिक आधार पर ड्यूटी के लिए संलग्न किया गया है। किसी भी कर्तव्य पर्ची पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित अधिकारी द्वारा इसे प्रमाणित/सत्यापित नहीं किया जाता है।

28. The bills in duplicate should be made date-wise by the contractor and should be submitted to the Institute for payment. दो प्रतियों में बिल ठेकेदार द्वारा तिथिवार बनाया जाना चाहिए और भुगतान के लिए संस्थान को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
29. The Institute will deduct TDS under Section 194-C of Income Tax Act from the contractor at the prevailing rates of such sum as income tax on the income comprised therein. संस्थान ठेकेदार से आयकर अधिनियम की धारा 194-सी के तहत उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में ऐसी राशि की प्रचलित दरों पर स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा।
30. The Institute reserves the right to vary the numbers of vehicles hired as well as to relax the terms and conditions in the public interest. संस्थान किराए पर लिए गए वाहनों की संख्या में परिवर्तन करने के साथ-साथ सार्वजनिक हित में नियमों और शर्तों में ढील देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. PENALTIES :
- दंड :-
- For non-providing of vehicle in time: Rs.100/- per hour up to Rs.500/- per hour of delay.
एक। समय पर वाहन उपलब्ध न कराने पर: रु. 100/- प्रति घंटा से लेकर रु. 500/- प्रति घंटा विलंब तक।
 - For not providing substitute vehicles: Rs.500/- per default or actual hire charges from other sources, whichever is higher.
स्थानापन्न वाहन उपलब्ध नहीं कराने के लिए: रु. 500/- प्रति चूक या अन्य स्रोतों से वास्तविक किराया शुल्क, जो भी अधिक हो।
 - On misbehaviour by the driver: Rs.500/- per default.
चालक द्वारा दुर्व्यवहार करने पर: रु.500/- प्रति चूक।
 - For violation/breach of any of the conditions of the agreement/ contract: Rs.500/- per default and/or termination of the contract/forfeiture of Security Deposit.
समझौते/अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन/उल्लंघन के लिए: रु.500/- प्रति चूक और/या अनुबंध की समाप्ति/सुरक्षा जमा की जब्त।
32. The tenderer shall furnish following the information and/or documents of their tender in Annexure I of the tender:
निविदाकर्ता निविदा के अनुबंधा में अपनी निविदा की निम्नलिखित जानकारी और/या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:
- The Tenderer shall deposit Bid Security Declaration.
 - An undertaking on non-judicial stamp of Rs.100/- to the effect that the Agency has not been blacklisted by any of the Departments/Organizations of the Government of India/ Government of and no criminal case is pending against the said firm/agency (proforma enclosed).
रु. 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर इस आशय का एक वचनबंध कि एजेंसी को भारत सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग/संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और उक्त फर्म/एजेंसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। (प्रोफार्मा संलग्न) ।
 - Terms and conditions duly accepted/signed with the stamp of the prospective tenderer on each page.
प्रत्येक पृष्ठ पर संभावित निविदाकर्ता की मुहर के साथ विधिवत स्वीकृत/हस्ताक्षरित नियम और शर्तें।
33. The firm should necessarily fill all the columns in Annexure II. Partly filled tender will not be accepted and liable to be rejected.
फर्म को अनुलग्नक II के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने चाहिए। आंशिक रूप से भरी गई निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
34. Vehicles should also have space for carrying scientific equipment's and samples.
वाहनों में वैज्ञानिक उपकरण और नमूने ले जाने के लिए भी जगह होनी चाहिए।
35. The firm should have registered vehicles in its name or in the name of the Proprietor (s) and should be in good condition. However, CSIR Headquarter shall have to be provided vehicles of 2023 or later year make only. All the vehicles should be mechanically sound and should also have decent interiors with other necessary accessories. फर्म के पास अपने नाम पर या प्रोपराइटर (Proprietor) के नाम पर पंजीकृत वाहन होने चाहिए और वे अच्छी स्थिति में होने चाहिए। हालाँकि, CSIR मुख्यालय को केवल 2023 या उसके बाद के मॉडल के वाहन ही उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सभी वाहन यांत्रिक रूप से ठीक होने चाहिए और उनमें अन्य आवश्यक एक्सेसरीज के साथ शालीन इंटीरियर भी होना चाहिए।
36. At any stage no vehicle older than three years should be deployed during the contract period. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर तीन साल से अधिक पुराना कोई भी वाहन तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

37. No mileage will be allowed to drivers for lunch/breakfast or for filling of petrol/diesel/CNG etc. The firm will ensure that the fuel tank of vehicles provided is completely filled up before deputing the vehicle for duty.
 ड्राइवर्स को दोपहर के भोजन/नाश्ते या पेट्रोल/डीजल/सीएनजी आदि भरवाने के लिए कोई माइलेज (दूरी) नहीं दी जाएगी। फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि ड्यूटी पर तैनात करने से पहले वाहनों की ईंधन टंकी पूरी तरह भरी हुई हो।
38. The driver provided by the firm should be well mannered, courteous and polite to the Officers with whom they are attached along with vehicles. They should be well acquainted with routes of Lucknow area, punctual with valid driving licenses and they should have neat and clean uniforms with name badges. The drivers should not smoke or drive while on duty and should not play cards etc. during waiting time. The firms will ensure that vehicles and drivers of the dedicated vehicles are not normally changed. Frequent changes of vehicles and drivers will not be permitted.
 फर्म द्वारा प्रदान किया गया ड्राइवर उन अधिकारियों के प्रति शिष्ट, विनम्र और नम्र होना चाहिए जिनके साथ उन्हें वाहनों सहित तैनात किया गया है। उन्हें लखनऊ क्षेत्र के मार्गों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ समय का पाबंद होना चाहिए और उनके पास नेम बैज (नाम पट्टिका) के साथ साफ-सुथरी वर्दी होनी चाहिए। ड्राइवर्स को ड्यूटी के दौरान धूम्रपान या गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और प्रतीक्षा समय के दौरान ताश आदि नहीं खेलना चाहिए। फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि समर्पित वाहनों के वाहन और ड्राइवर सामान्यतः बदले न जाएं। वाहनों और ड्राइवर्स के बार-बार बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
39. The vehicles will have to be fitted / provided with the following mandatory additional accessories/utilities:
- Clean seat covers
 - Quality radio music system
 - Tissue paper Box
 - Car perfume
 - Mobile charger
 - Seat Belts (Front & Rear) and umbrella during monsoon
 - Mini fire extinguisher
 - BS-6, Airbags safety precaution.
- वाहनों में निम्नलिखित अनिवार्य अतिरिक्त एक्सेसरीज/सुविधाएं फिट/प्रदान की जानी होंगी:
- साफ सीट कवर
 - क्वालिटी रेडियो म्यूजिक सिस्टम
 - टिशू पेपर बॉक्स
 - कार परफ्यूम (Car perfume)
 - मोबाइल चार्जर
 - सीट बेल्ट (आगे और पीछे) और मानसून के दौरान छाता
 - मिनी अग्निशामक यंत्र (Mini fire extinguisher)
 - BS-6, एयरबैग सुरक्षा सावधानी।
40. Empanelment of agencies shall stand cancelled in case the agency violates any of terms and conditions.
 यदि एजेंसी किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करती है तो एजेंसियों का पैनल रद्द हो जाएगा।
41. India International Arbitration Centre, New Delhi shall have the exclusive jurisdiction to try all the disputes, if any, arising out of this agreement between the parties. The courts at Lucknow, shall have the exclusive jurisdiction to try disputes, if any, arising out of this agreement between the parties.
 लखनऊ के न्यायालयों को पक्षकारों के बीच इस समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों, यदि कोई हो, की सुनवाई करने का अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
42. **The requirement of Vehicles is need based which may vary as per actual requirement.**
वाहनों की संख्या आदि आवश्यकता आधारित होती है जो वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है।
43. **In case of any discrepancy English version of this tender document may be treated as final.**
किसी भी विसंगति के मामले में इस निविदा दस्तावेज के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
44. Any relaxation in the terms & conditions will be at the sole discretion of the Director, CSIR-CIMAP.
 नियमों और शर्तों में कोई भी छूट पूरी तरह से निदेशक, सीएसआईआर-सीमैप के निर्णय पर होगी।

निवेदाकर्ता के हस्ताक्षर:

नाम:

पता/फोन/मोबाइल नं.:

सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ

तकनीकी बिड / Technical Bid

1.	Name of firm/company/agency फर्म/कंपनी/एजेंसी का नाम।	
2.	Registration No./License No. of Firm. फर्म का पंजीकरण क्रमांक/लाइसेंस क्रमांक।	
3.	Annual average Turnover of Rs. 20 lakh or more of the agency for last three years (along with proof) पिछले तीन वर्षों के लिए एजेंसी का वार्षिक औसत टर्नओवर रु. 20 लाख या उससे अधिक (प्रमाण के साथ)।	
4.	Five years' experience of providing services in the Government Sector/ PSUs along with certificate regarding satisfactory completion of work from the employer. सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा प्रदान करने का पांच वर्ष का अनुभव तथा नियोक्ता से कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा करने संबंधी प्रमाण पत्र।	
5.	Income Tax Return for the last three Financial Year. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न।	
6.	PAN Number पैन नंबर	
7.	Goods & Service Tax No गुड्स एंड सर्विस टैक्स नं०	
8.	An undertaking that the agency has not been blacklisted/services have not been terminated by any Government Department / autonomous bodies, CSIR or any of its laboratories as on the date of submission of the bid. (Annexure-I) (To be executed on Rs. 100/- e-stamp paper) एक वचनबंध कि एजेंसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है/सेवाएं किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकायों, सीएसआईआर या इसकी किसी भी प्रयोगशाला द्वारा बिड जमा करने की तिथि तक समाप्त नहीं की गई हैं। (Annexure-I) (To be executed on Rs. 100/- e-stamp paper)	
9.	Copy of Partnership Deed, in case of Partnership Firm and detailed of Authorized Signatory (ies). पार्टनरशिप फर्म के मामले में पार्टनरशिप डीड की प्रति और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) का विवरण।	
10.	The agency must have at least 4 vehicles (2 SUV & 2 Sedan) in the name of owner/agency/firm of the model of the year 2023 onwards. Copy of Registration Certificate to be uploaded. The Vehicles must be registered as commercial vehicles. एजेंसी /फर्म के नाम पर वर्ष 2023 या उसके बाद की कम से कम चार पंजीकृत वाहन (02 एसयूवी 02-सेडान) होना चाहिए। पंजीकरण की प्रति संलग्न करें। वाहन का कमर्शियल पंजीकरण अनिवार्य है।	1. 2.
11.	The details of registered office & Garage Facility at Lucknow and the proof must be enclosed. एजेंसी का लखनऊ में रजिस्टर्ड कार्यालय और गैराज का विवरण। जिसका साक्ष्य संलग्न किया जाए।	
12.	Bid Security Declaration. (Annexure-II) बोली सुरक्षा घोषणा। (Annexure-II)	
13.	Duly filled-up Proforma for no near relatives(s) (as	

	per Annexure-III of NIT) should be submitted/uploaded. (To be executed on Rs. 10/- e-stamp paper) निकट संबंधियों के न होने की स्थिति में विधिवत भरा हुआ प्रोफार्मा (एनआईटी के Annexure-III के अनुसार) जमा/अपलोड किया जाना चाहिए। (To be executed on Rs. 10/- e-stamp paper)	
14.	Bid documents/Tender document downloaded from portal should be completed, duly filled and signed on each page and should be submitted/updated online. पोर्टल से डाउनलोड किए गए बोली दस्तावेज/निविदा दस्तावेज को पूरा भरा जाना चाहिए, प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसे ऑनलाइन जमा/अपडेट किया जाना चाहिए।	

घोषणा /Declaration

1. The above information is true to the best of my knowledge and if any information is found untrue or false I may be debarred from the tender process/being given the contract. उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो मुझे निविदा प्रक्रिया/अनुबंध दिए जाने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
2. We agree to abide by the terms and conditions stipulated in the tender. हम निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
3. We also agree that our tender will remain valid for acceptance for 90 days from the date of opening of part I of the tender and this period of validity can be extended for such period as may be mutually agreed in writing between the CIMAP and tenderer. We also agree to keep the earnest money valid during the entire period of validity of tender. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो सीमैप और निविदाकर्ता के बीच लिखित रूप से सहमत हो। हम निविदा की वैधता की संपूर्ण अवधि के दौरान बयाना राशि को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।
4. I/We certify that none of my/our relative(s) is/are employed in CSIR-CIMAP. In case at any stage, if it is found that the information given by me/us is false/incorrect, CSIR-CIMAP shall have the absolute right to take any action deemed fit without any prior information to me. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरा/हमारा कोई भी रिश्तेदार सीएसआईआर-सीमैप में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी झूठी/गलत है, तो सीएसआईआर-सीमैप को मुझपर बिना किसी पूर्व सूचना के उचित कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. I/We understand that the Director, CIMAP reserves the right to accept or reject any or all the tenderer either in full or in part without assigning any reason thereof. मैं/हम समझते हैं कि निदेशक, सीमैप किसी भी या सभी निविदाकर्ताओं को बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

दिनांक.....दिन.....2026

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान लखनऊ
आर्थिक बिड/ Financial Bid

(to be uploaded on GEM-CPP Portal in MS Excel File / एमएस एक्सेल फाइल में जेम-सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाने हेतु)

SI No.	वाहनों का विवरण एवं निविदाकारों द्वारा भरी जाने वाली मर्दे Types of Vehicles and rates to be quoted by the Bidders	Rates to be quoted in Rs A	Formula for one day charges B	Total Rs
1	SUV- Innova/Scorpio/XUV/ Ertiga Or Equivalent-AC एसयूवी- इन्नोवा/स्कॉर्पिओ/एक्सयूवी/अर्टिगा या समकक्ष-एसी			
1.1	Fixed rate for full day duty upto 80 kms/8 Hrs. for Lucknow (municipal limits) लखनऊ (नगर निगम सीमा) के लिए पूरे दिन की ड्यूटी 80 किमी/8 घंटे तक के लिए निश्चित दर		A	
1.2	Fixed rate for half day duty upto 40 kms/4 Hrs for Lucknow (municipal limits) लखनऊ नगर) निगम सीमा के लिए आधा दिन की ड्यूटी (40 किमी/4 घंटे तक के लिए निश्चित दर		A*2	
1.3	Rate for additional charges for Lucknow (municipal limits) beyond 80 kms. (rate per km) लखनऊ नगर) निगम सीमा(के लिए के लिए अतिरिक्त शुल्क की दर दर प्रति किमी))		A*80	
1.4	Fixed rate for full day outstation duty upto 250 kms/8 Hrs. पूरे दिन हेतु आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए निश्चित दर 8/किमी 250घंटे तक		A	
1.5	Rate for additional charges for outstation duty beyond 250 kms. (rate per km) आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए किमी से अधिक 250अतिरिक्त शुल्क के लिए दर(दर प्रति किमी)		A*250	
1.6	Rate for extra per Hrs. प्रति घंटे अतिरिक्त दर।		A*8	
1.7	Night charges between 11 P.M. to 5 A.M. रात्रि प्रभार रात बजे 11से सुबह बजे तक 5 के बीच शुल्क		A*6	
2	Sedan- Honda Amaze/Hyundai Aura/Tata Tigor/Swift Desire Or Equivalent – AC सेडान - होंडा अमेज़/हुंडई ऑरा/टाटा टीगोर/स्विफ्ट डिजायर या समकक्ष-एसी			
2.1	Fixed rate for full day duty upto 80 kms/8 Hrs. for Lucknow (municipal limits) लखनऊ (नगर निगम सीमा) के लिए पूरे दिन की ड्यूटी 80 किमी/8 घंटे तक के लिए निश्चित दर		A	
2.2	Fixed rate for half day duty upto 40 kms/4 Hrs for Lucknow (municipal limits) लखनऊ नगर) निगम सीमा के लिए आधा दिन की ड्यूटी (40 किमी/4 घंटे तक के लिए निश्चित दर		A*2	
2.3	Rate for additional charges for Lucknow (municipal limits) beyond 80 kms. (rate per km) लखनऊ नगर) निगम सीमा(के लिए के लिए अतिरिक्त शुल्क की दर दर प्रति किमी))		A*80	
2.4	Fixed rate for full day outstation duty upto 250 kms/8 Hrs. पूरे दिन हेतु आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए निश्चित दर 8/किमी 250घंटे तक		A	
2.5	Rate for additional charges for outstation duty beyond 250 kms. (rate per km) आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए (दर प्रति किमी) किमी से अधिक अतिरिक्त शुल्क के लिए दर 250		A*250	
2.6	Rate for extra per Hrs. प्रति घंटे अतिरिक्त दर।		A*8	
2.7	Night charges between 11 P.M. to 5 A.M. रात्रि प्रभार रात बजे 11से सुबह बजे तक 5 के बीच शुल्क		A*6	
3	Bus -Daily Basis-AC (50 and above seater) बस एसी - दैनिक आधार (50 और उससे अधिक सीट वाली)			
3.1	Fixed rate for full day duty 100 kms/8 Hrs. for Lucknow (municipal limits) लखनऊ (नगर निगम सीमा) के लिए पूरे दिन की ड्यूटी 100 किमी/8 घंटे तक के लिए निश्चित दर		A	
3.2	Fixed rate for half day duty upto 50 kms/4 Hrs for Lucknow (municipal limits) लखनऊ नगर) निगम सीमा के लिए आधा दिन की ड्यूटी (50 किमी/4 घंटे तक के लिए निश्चित दर		A*2	
3.3	Rate for Additional charges beyond 100 kms for Lucknow (municipal limits) (rate per km) लखनऊ नगर) निगम सीमा(के लिए के लिए 100 किमी के बाद अतिरिक्त शुल्क की दर दर प्रति) किमी)		A*100	
3.4	Fixed rate for full day outstation duty upto 250 kms/8 Hrs.		A	

	पूरे दिन हेतु आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए निश्चित दर 8/किमी 250घंटे तक		
3.5	Rate for additional charges for outstation duty beyond 250 kms. (rate per km) आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए किमी से अधिक अतिरिक्त शुल्क के लिए 250दर (दर प्रति किमी)		A*250
3.6	Rate for extra per Hrs. प्रति घंटे अतिरिक्त दर।		A*8
3.7	Night charges between 11 P.M. to 5 A.M. रात्रि प्रभार रात बजे 11से सुबह बजे तक 5 के बीच शुल्क		A*6
4	Tempo Traveller - Daily Basis-AC (25 and above seater) टेम्पो ट्रेवलर - दैनिक आधार (25 और उससे अधिक सीट वाली)		
4.1	Fixed rate for full day duty 100 kms/8 Hrs. for Lucknow (municipal limits) लखनऊ (नगर निगम सीमा) के लिए पूरे दिन की ड्यूटी 100 किमी/8 घंटे तक के लिए निश्चित दर		A
4.2	Fixed rate for half day duty upto 50 kms/4 Hrs for Lucknow (municipal limits) लखनऊ नगर) निगम सीमा के लिए आधा दिन की ड्यूटी (50 किमी/4 घंटे तक के लिए निश्चित दर		A*2
4.3	Rate for Additional charges beyond 100 kms for Lucknow (municipal limits) (rate per km) लखनऊ नगर) निगम सीमा(के लिए के लिए 100 किमी के बाद अतिरिक्त शुल्क की दर दर प्रति) किमी)		A*100
4.4	Fixed rate for full day outstation duty upto 250 kms/8 Hrs. पूरे दिन हेतु आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए निश्चित दर 8/किमी 250घंटे तक		A
4.5	Rate for additional charges for outstation duty beyond 250 kms. (rate per km) आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए किमी से अधिक अतिरिक्त शुल्क के लिए 250दर (दर प्रति किमी)		A*250
4.6	Rate for extra per Hrs. प्रति घंटे अतिरिक्त दर।		A*8
4.7	Night charges between 11 P.M. to 5 A.M. रात्रि प्रभार रात बजे 11से सुबह बजे तक 5 के बीच शुल्क		A*6
5	Bus - Monthly Basis –AC (50 and above seater) बस एसी - मासिक आधार (50 और उससे अधिक सीट वाली)		
5.1	Fixed rate for a month for full day (8 Hrs) for hiring of Bus/Tempo Traveller (32-Seater) on monthly basis for Lucknow (municipal limits) subject to Minimum 1500 km & 200 Hrs (including all charges) लखनऊ किराए पर (सीटर-32) टेम्पो ट्रेवलर/के लिए मासिक आधार पर बस (नगरपालिका सीमा) 8) लेने के लिए पूरे दिनघंटेके लिए एक महीने के लिए निश्चित दर (, न्यूनतम 200 किमी और 1500 के अधीन (सभी शुल्कों सहित) घंटे		A/26
5.2	Rate for Additional charges beyond 1500 kms (rate per km) (दर प्रति किमी) किमी से अधिक अतिरिक्त शुल्क के लिए दर 1500		A*1500/ 26
5.3	Rate for extra per Hrs. beyond 200 Hrs प्रति घंटे अतिरिक्त दर। घंटे से अधिक 200		A*200/2 6
5.4	Night charges between 11 P.M. to 5 A.M. रात्रि प्रभार रात बजे 11से सुबह बजे तक 5 के बीच शुल्क		A*6
6	Tempo Traveller - Monthly Basis –AC (25 and above seater) टेम्पो ट्रेवलर - मासिक आधार (25 और उससे अधिक सीट वाली)		
6.1	Fixed rate for a month for full day (8 Hrs) for hiring of Bus/Tempo Traveller (32-Seater) on monthly basis for Lucknow (municipal limits) subject to Minimum 1500 km & 200 Hrs (including all charges) लखनऊ (नगरपालिका सीमा) के लिए मासिक आधार पर बस/टेम्पो ट्रेवलर (32-सीटर) किराए पर लेने के लिए पूरे दिन (8घंटेके लिए एक महीने के लिए निश्चित दर (, न्यूनतम किमी और 200 1500 घंटे (सभी शुल्कों सहित) के अधीन 200		A/26
6.2	Rate for Additional charges beyond 1500 kms (rate per km) किमी से अधिक अतिरिक्त शुल्क के लिए दर (दर प्रति किमी) 1500		A*1500/ 26
6.3	Rate for extra per Hrs. beyond 200 Hrs प्रति घंटे अतिरिक्त दर। घंटे से अधिक 200		A*200/2 6
6.4	Night charges between 11 P.M. to 5 A.M. रात्रि प्रभार रात बजे 11से सुबह बजे तक 5 के बीच शुल्क		A*6

7	SUV- Innova/Scorpio/XUV/ Ertiga Or Equivalent- Monthly Basis -AC एसयूवी- इन्नोवा/स्कॉर्पियो/एक्सयूवी/अर्टिगा या समकक्ष- मासिक आधार -एसी			
7.1	Fixed rate for a month for full day (8 Hrs) for hiring of SUV on monthly basis for Lucknow (municipal limits) subject to Minimum 1500 km & 200 Hrs (including all charges) लखनऊ (नगरपालिका सीमा) के लिए मासिक आधार पर एसयूवी किराए पर लेने के लिए पूरे दिन (8 घंटे) के लिए एक महीने के लिए निर्धारित दर न्यूनतम 1500 किमी और 200 बजे (सभी शुल्कों सहित)		A/26	
7.2	Rate for Additional charges beyond 1500 kms (rate per km) किमी से अधिक अतिरिक्त शुल्क के लिए दर (दर प्रति किमी) 1500		A*1500/ 26	
7.3	Rate for extra per Hrs. beyond 200 Hrs प्रति घंटे अतिरिक्त दर। घंटे से अधिक 200		A*200/2 6	
7.4	Night charges between 11 P.M. to 5 A.M. रात्रि प्रभार रात बजे 11से सुबह बजे तक 5 के बीच शुल्क		A*6	
8	Sedan- Honda Amaze/Hyundai Aura/Tata Tigor/Swift Desire Or Equivalent – Monthly Basis - AC सेडान- होंडा अमेज़/हुंडई ऑरा/टाटा टीगोर/स्विफ्ट डिजायर या समकक्ष - मासिक आधार - एसी			
8.1	Fixed rate for a month for full day (8 Hrs) for hiring of Sedan Cars on monthly basis for Lucknow (municipal limits) subject to Minimum 1500 km & 200 Hrs (including all charges) लखनऊ (नगरपालिका सीमा) के लिए मासिक आधार पर सेडान कारों को किराए पर लेने के लिए पूरे दिन (8 घंटे) के लिए एक महीने के लिए निर्धारित दर न्यूनतम 1500 किमी और 200 बजे (सभी शुल्कों सहित)।		A/26	
8.2	Rate for Additional charges beyond 1500 kms (rate per km) किमी से अधिक अतिरिक्त शुल्क के लिए दर (दर प्रति किमी) 1500		A*1500/ 26	
8.3	Rate for extra per Hrs. beyond 200 Hrs प्रति घंटे अतिरिक्त दर। घंटे से अधिक 200		A*200/2 6	
8.4	Night charges between 11 P.M. to 5 A.M. रात्रि प्रभार रात बजे 11से सुबह बजे तक 5 के बीच शुल्क		A*6	

नोट: -
Note :-

1. The rate fixed during the period of engagement/empanelment shall be valid/applicable for a period of two years. No escalation in the rates on any account shall be admissible, whatsoever may be the reason.
नियुक्ति/नामांकन की अवधि के दौरान निर्धारित दर दो वर्ष की अवधि के लिए वैध/लागू होगी। किसी भी कारण से दरों में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी, चाहे जो भी कारण हो।
2. The amount of bids quoted should include all statutory payments excluding Goods & Service Tax.
उद्धृत बिडों की राशि में वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर सभी वैधानिक भुगतान शामिल होने चाहिए।
3. Outstation run is subject to minimum journey 250 km. Per day.
आउटस्टेशन रन न्यूनतम यात्रा 250 किमी के अधीन है। प्रति दिन।
4. Night Halt charged will be applicable from 11:00 pm until 5:00 am.
नाइट हॉल्ट का शुल्क रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा।
5. Time of distance will be calculated from the office.
दूरी के समय की गणना कार्यालय से की जाएगी।

निवेदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम: _____

पता: _____

CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AROMATIC PLANTS, LUCKNOW
(Council of Scientific and Industrial Research)
KUKRAIL PICNIC SPOT ROAD, Lucknow-226015 U.P.
Ph. 0522-2359623, Fax. 0532-2718681
Website: <https://cimap.res.in/>

सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
कुकरैल पिकनिक स्पॉट रोड, लखनऊ-226015(उ.प्र.)

अंडरटेकिंग/ UNDERTAKING

निदेशक,
सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान
कुकरैल पिकनिक स्पॉट रोड
लखनऊ-226015

महोदय,

1. I/we the undersigned, certify that I/was have gone through the terms and conditions mentioned in the tender documents and undertake to comply with them.
मैं/हम अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हम निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन दिया है।
2. I/we will be responsible for health and injury caused to my employees while on duty. I/we will also be responsible for the behaviour & conduct of the workers.
मैं/हम ड्यूटी के दौरान मेरे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और चोट के लिए जिम्मेदार होंगे। मैं/हम कर्मचारियों के व्यवहार और आचरण के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
3. That no Criminal/Income Tax/Service Tax/Blacklisting case is pending against my firm.
कि मेरी फर्म के विरुद्ध कोई आपराधिक/आयकर/सेवा कर/ब्लैकलिस्ट होने का मामला लंबित नहीं है।

दिनांक:

निवेदाकर्ता के हस्तार
मुहर के साथ

निवेदाकर्ता का नाम
पते के साथ

नोट: Certificate as per above must be submitted only on non-judicial Stamp paper of Rs.100/- (Rupees One Hundred Only)

उपरोक्त के अनुसार प्रमाण पत्र केवल गैर-न्यायिक 100/- रुपये (रुपया एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

समझौता/ AGREEMENT

This AGREEMENT made on this _____ day of _____ between the COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, a Society registered under the Societies Registration Act and having its office at "Anusandhan Bhawan", Rafi Marg, New Delhi (hereinafter referred to as CSIR) which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include its successors and assigns of the ONE PART.

यह समझौता इस _____ के दिन _____ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी और जिसका कार्यालय "अनुसंधान भवन", रफी मार्ग, नई दिल्ली (बाद में सीएसआईआर के रूप में संदर्भित) के बीच में किया गया है, यह समझौता जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ समझा जाएगा और इसमें उसके उत्तराधिकारी और एक भाग के असाइनी शामिल होंगे।

And
और

M/s _____ at _____ (hereinafter referred to as contractor which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include its successors and assigns of the OTHER PART.

मैसर्स _____ पर _____ (इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया गया है, जो अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत नहीं होगी, तब तक इसका अर्थ समझा जाएगा और इसके उत्तराधिकारी और अन्य भाग के असाइनर शामिल होंगे।

WHEREAS the CSIR is desirous of giving a contract for **the work "Hiring of Taxies/ Vehicles"** from its unit **CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, KUKRAIL PICNIC SPOT ROAD, Lucknow** (Name of the Lab./Instt.) which is a constituent unit of CSIR (hereinafter referred to as Lab./Instt.) and whereas the Contractor has offered to provide the service for the said job at CIMAP on the terms and conditions hereinafter stated.

जबकि सीएसआईआर अपनी इकाई सीएसआईआर- केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, कुकरैल पिकनिक स्पॉट रोड, लखनऊ, (प्रयोगशाला/संस्थान का नाम) से "किराए पर टैक्सी/वाहन" कार्य के लिए एक अनुबंध देने का इच्छुक है, जो की सीएसआईआर की एक घटक इकाई है (इसके बाद प्रयोगशाला/संस्थान के रूप में संदर्भित) और जबकि ठेकेदार ने इसके बाद बताए गए नियमों और शर्तों पर सीमैप में उक्त नौकरी के लिए सेवा प्रदान करने की पेशकश की है।

WHEREAS the **CONTRACTOR** has represented that he is a registered contractor under the Central Excise Department and has further represented that he is eligible to get this contract and there is no legal or any other bar for him in this respect. Any obligations and/or formalities which are required to be fulfilled under the said Act or any amendment thereto for the purpose of entering into and/or execution of the **CONTRACT** shall be carried out by **THE CONTRACTOR** at his own expenses, etc. and the **CONTRACTOR** shall report the compliance thereof to the **CSIR**. The **CONTRACTOR** shall be solely liable for any violation of the provisions of the said Act or any other Act.

जबकि ठेकेदार ने प्रतिनिधित्व किया है कि वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के तहत एक पंजीकृत ठेकेदार है और आगे यह भी प्रतिनिधित्व किया है कि वह इस अनुबंध को प्राप्त करने के लिए पात्र है और इस संबंध में उसके लिए कोई कानूनी या कोई अन्य रोक नहीं है। किसी भी दायित्वों और/या औपचारिकताओं को उक्त अधिनियम के तहत पूरा करने की आवश्यकता या अनुबंध में प्रवेश करने और/या निष्पादन के उद्देश्य के लिए कोई संशोधन ठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के व्यय आदि पर किया जाएगा और ठेकेदार उसके अनुपालन की सूचना सीएसआईआर को देगा। ठेकेदार उक्त अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

WHEREAS CSIR/CIMAP has agreed to award the contract for work of **"Hiring of taxis/vehicles"** at CIMAP hereinafter mentioned as work assigned which will consist of providing by **CONTRACTOR** required number of A/C vehicles on hire basis for official use on the rates as specified at **Annexure-II** and enclosed to this agreement.

जबकि सीएसआईआर/सीमैप में "किराए पर टैक्सी/वाहन" के काम के लिए अनुबंध देने के लिए सहमत हो गया है, इसके बाद सौंपे गए कार्य के रूप में उल्लेख किया गया है जिसमें ठेकेदार द्वारा अनुलग्नक II में निर्दिष्ट और इस समझौते के साथ संलग्न दरों पर आधिकारिक उपयोग के लिए आवश्यक संख्या में ए/सी वाहनों को किराए के आधार पर उपलब्ध कराना शामिल होगा।

AND WHEREAS the contractor has furnished a Bid Security Declaration Dated in the name of Director, CIMAP, issued by NOW

THEREFORE, BY THESE ARTICLES AND ON THE PREMISES mentioned above, the parties hereto have agreed to as under-: और जबकि कॉन्ट्रैक्टर ने बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन दिया है दिनांक के माध्यम से। निदेशक, सीमैप के नाम पर, द्वारा जारी किया गया। इसलिए, इन अनुच्छेदों और ऊपर वर्णित परिसरों द्वारा, पार्टियों ने इसके लिए निम्नानुसार सहमति व्यक्त की है:

A. सामान्य शर्तें / GENERAL CONDITIONS:

1. **That** it is expressly understood and agreed to between the parties to this Agreement that the persons deployed by the **CONTRACTOR, if any**, for the services mentioned above shall be the employees of the **CONTRACTOR** for all intents and purposes and that the persons so deployed shall remain under the control and supervision of the **CONTRACTOR** and in no case, shall a relationship of employer and employee between the said persons and the CSIR shall accrue/arise implicitly or explicitly.

यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है और इस समझौते के पक्षों के बीच सहमति है कि ऊपर उल्लिखित सेवाओं के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्ति, यदि कोई हो, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और इस तरह तैनात किए गए व्यक्ति बने रहेंगे ठेकेदार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत और किसी भी मामले में, उक्त व्यक्तियों और सीएसआईआर के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से उत्पन्न नहीं होगा।

2. **That** on taking over the responsibility of the work assigned, the **CONTRACTOR** shall formulate the mechanism and duty assignment of work, if any, to its personnel in consultation with Director, CIMAP or his nominee. Subsequently, the **CONTRACTOR** shall review the said assigned work from time to time and advise the Director, CIMAP or his nominee for further streamlining their system. The **CONTRACTOR** shall further be bound by and carry out the directions/instructions given to him by the Director, CIMAP or Officers designated by the Director in this respect from time to time.

यह कि सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी लेने पर, ठेकेदार निदेशक, सीमैप या उनके नामिती के परामर्श से अपने कर्मियों को कार्य का तंत्र और कर्तव्य सौंपने, यदि कोई हो, तैयार करेगा। इसके बाद, ठेकेदार समय-समय पर उक्त सौंपे गए कार्य की समीक्षा करेगा और निदेशक, सीमैप या उनके नामित व्यक्ति को उनकी प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए सलाह देगा। ठेकेदार समय-समय पर इस संबंध में निदेशक, सीमैप या निदेशक द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों/निर्देशों से बाध्य होगा और उन्हें पूरा करेगा।

3. **That** the Director, CIMAP or any other person authorized by him shall be at liberty to carry out surprise check on the persons so deployed by the **CONTRACTOR** in order to ensure that persons deployed by him are doing their duties properly.

यह कि निदेशक, सीमैप या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों पर औचक निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके द्वारा तैनात किए गए व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर रहे हैं।

4. **That** in case any of the persons so deployed by the **CONTRACTOR** does not come up to the mark or does not perform his duties properly or commits misconduct or indulges in any unlawful riots or disorderly conduct, the **CONTRACTOR** shall immediately withdraw and take suitable action against such person on the report of the Director, CIMAP or any officer designated by him in this respect. Further, the **CONTRACTOR** shall immediately replace the particular person so deployed on the demand of the Director, CIMAP in case of any of the aforesaid acts on the part of the said person.

यह कि यदि ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं पाया जाता है या अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी भी गैरकानूनी दंगों या अव्यवस्थित आचरण में शामिल होता है, तो ठेकेदार निदेशक, सीमैप या इस संबंध में उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी की रिपोर्ट पर रिपोर्ट पर तुरंत उस व्यक्ति को निकाल देगा और ऐसे लोगों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, उक्त व्यक्ति की ओर से पूर्वोक्त कार्यों में से किसी के मामले में ठेकेदार तुरंत निदेशक, सीमैप की मांग पर तैनात विशेष व्यक्ति को बदल देगा।

B. ठेकेदार के दायित्व / THE CONTRACTOR'S OBLIGATIONS:

1. **That** the **CONTRACTOR** shall carefully and diligently undertake/perform the job as assigned to him as mentioned in tender document and as deemed fit by him in consultation with the CIMAP.

यह कि ठेकेदार निविदा दस्तावेज में उल्लिखित और सीमैप के परामर्श से उसके द्वारा उचित समझे जाने के अनुसार उसे सौंपे गए कार्य को सावधानीपूर्वक और लगन से करेगा / निष्पादित करेगा।

2. **That** for performing the assigned work, the **CONTRACTOR** shall deploy persons for ten hours' duty and as per the requirement of the job. The **CONTRACTOR** shall ensure that the persons are punctual and disciplined and remain vigilant in performance of their duties. It is further agreed that the **CONTRACTOR** shall engage medically and physically fit persons preferably below the age of 50 years and whose character is verified.

कि सौंपे गए कार्य को करने के लिए, ठेकेदार दस घंटे की ड्यूटी के लिए और कार्य की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों को तैनात करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति समय के पाबंद और अनुशासित हैं और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में सतर्क रहते हैं। आगे यह भी सहमति है कि ठेकेदार चिकित्सा और शारीरिक रूप से फिट व्यक्तियों को अधिमानतः 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को नियुक्त करेगा और जिनका चरित्र सत्यापित है।

3. **That the CONTRACTOR** shall submit details such as, names, parentage, residential address, age, etc. of the persons deployed by him, if any, for the purpose along with their passport size photograph for the purpose of proper identification of the employees of the contractor deployed for the work. Further, he shall issue identity cards bearing their photographs/ identification, etc. and such employees shall display their identity cards at the time of duty.

यह कि ठेकेदार अपने कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से उनके पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उनके द्वारा तैनात व्यक्तियों के नाम, माता-पिता, आवासीय पता, आयु, आदि जैसे विवरण प्रस्तुत करेगा, यदि कोई। इसके अलावा, वह अपनी फोटो/पहचान आदि वाले पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे कर्मचारियों को ड्यूटी के समय अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा।

4. **That the CONTRACTOR** shall be liable for payment of wages and all other dues which they are entitled to receive under the various labor laws and other statutory provisions.

यह कि ठेकेदार विभिन्न श्रम कानूनों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत प्राप्त होने वाले वेतन और अन्य सभी देय राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

5. **That the CONTRACTOR** shall at his own cost, if required, take necessary insurance cover in respect of the aforesaid services rendered to CSIR-CIMAP and shall comply with the statutory provisions of Contract Labor (Regulation & Abolition) Act 1970, Employee State Insurance Act, 1948, Workmen's Compensation Act, 1923, Payment of Wages Act, 1936, The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, The Payment of Bonus Act, 1965. The Minimum Wages Act, 1948, Employer's Liability Act, 1938, Employment of Children (Prohibition) Act 1938, Maternity Benefit Act and/or any other rules/regulations and/or statutes that may be applicable to him.

यह कि ठेकेदार अपनी लागत पर, यदि आवश्यक हो, सीएसआईआर-सीमैप को प्रदान की गई पूर्वोक्त सेवाओं के संबंध में आवश्यक बीमा कवर लेगा और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, के वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा। 1948, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923, मजदूरी अधिनियम, 1936 का भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, बोनस अधिनियम, 1965 का भुगतान। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, नियोक्ता का दायित्व अधिनियम, 1938, बच्चों का रोजगार (निषेध) अधिनियम 1938, मातृत्व लाभ अधिनियम और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या क़ानून जो उस पर लागू हो सकते हैं।

6. **That the CONTRACTOR** shall be solely responsible for any violation of provisions of the labor laws or any other statutory provisions and shall further keep CSIR-CIMAP indemnified from all acts of omissions, faults, breaches and/or any claim, demand, loss, injury and expenses arising out from the noncompliance of the aforesaid statutory provisions. Contractor's failure to fulfill any of the obligations hereunder and/or under the said Acts, Rules/Regulations and/or any Bye-Laws or rules framed under or any of these, the CSIR-CIMAP shall be entitled to recover any of such losses or expenses which it may have to

suffer or incur on account of such claims, demands, loss or injury from the **CONTRACTOR'S** monthly payments.

यह कि ठेकेदार श्रम कानूनों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आगे सीएसआईआर-सीमैप को पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाली चूक, दोष, उल्लंघन और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय के सभी कार्यों से क्षतिपूर्ति करेगा। इसके तहत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों और/या किसी भी उप-नियमों या इनमें से किसी के तहत बनाए गए नियमों में से किसी भी दायित्व को पूरा करने में ठेकेदार की विफलता, सीएसआईआर-सीमैप ऐसे किसी भी नुकसान की वसूली के लिए हकदार होगा या ठेकेदार के मासिक भुगतानों से ऐसे दावों, मांगों, हानि या चोट के कारण इसे खर्च करना पड़ सकता है या खर्च करना पड़ सकता है।

7. That the CONTRACTOR shall be required to maintain Permanent Attendance Register/Roll within the building premises which will be open for inspection and checking by the authorized officers of CSIR-CIMAP.

ठेकेदार को भवन परिसर के भीतर स्थायी उपस्थिति रजिस्टर/रोल बनाए रखने की आवश्यकता होगी जो सीएसआईआर-सीमैप के अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और जांच के लिए खुला रहेगा।

8. That the CONTRACTOR shall make the payment of wages etc. to the persons so deployed by him on or before **7th day of the following month** and ensure that he is fulfilling his commitments towards his employees so deployed under the work under the agreement.

कि ठेकेदार अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को अगले महीने के 7वें दिन या उससे पहले मजदूरी आदि का भुगतान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह समझौते के तहत काम के लिये तैनात अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है।

9. That the CONTRACTOR shall take all reasonable care and precautions to prevent any unlawful riot or disorderly conduct or act of his employees so deployed and ensure preservation of peace and protection of persons and property of CSIR-CIMAP.

यह कि ठेकेदार इस प्रकार तैनात अपने कर्मचारियों के किसी भी गैरकानूनी दंगे या उच्छृंखल आचरण या कार्य को रोकने के लिए सभी उचित देखभाल और सावधानी बरतेंगे और सीएसआईआर-सीमैप की शांति और व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

10. That the CONTRACTOR shall deploy his persons in such a way that they get weekly rest. The working hours/leave, for which the work is taken from them, do not violate relevant provisions of any Law or Acts, for the time being in force. **The CONTRACTOR** shall in all dealings with the persons in his employment have due regard to all recognized festivals, days of rest and religious or other customs. In the event of **the CONTRACTOR** committing any default or breach of any of the provisions of the labor laws including the provisions of Contract Labor (Regulation and Abolition) Act 1970 as amended from time to time or furnishing any information, or submitting or filing any statement under the provisions of the said regulations and rules which is materially incorrect, he shall without prejudice to any other liability pay to the Director, CIMAP a sum as may be claimed by CSIR-CIMAP.

कि ठेकेदार अपने व्यक्तियों को इस प्रकार तैनात करेगा कि उन्हें साप्ताहिक आराम मिले। काम के घंटे/छुट्टी, जिसके लिए उनसे काम लिया जाता है, उस समय लागू किसी भी कानून या अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठेकेदार अपने रोजगार में व्यक्तियों के साथ सभी व्यवहारों में सभी मान्यता प्राप्त त्योहारों, आराम के दिनों और धार्मिक या अन्य रीति-रिवाजों को ध्यान में रखेगा। अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों सहित श्रम कानूनों के किसी भी प्रावधान में समय-समय पर संशोधन करने या किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने, या किसी भी बयान को प्रस्तुत करने या दाखिल करने में ठेकेदार की किसी भी चूक या उल्लंघन की स्थिति में उक्त विनियमों और नियमों के प्रावधानों के तहत जो भौतिक रूप से गलत है, वह बिना किसी पूर्वाग्रह के निदेशक, सीमैप को सीएसआईआर-सीमैप द्वारा दावा की जा सकने वाली राशि का भुगतान करेगा।

11. That the CONTRACTOR shall remove all workers deployed by him on termination of the contract or on expiry of contract from the premises of CIMAP and ensure that no such person shall create any disruption /hindrance/problem of any nature in CIMAP either explicitly or implicitly.

यह कि ठेकेदार सीमैप के परिसर से अनुबंध की समाप्ति या अनुबंध की समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति सीमैप में स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की बाधा/बाधा/समस्या पैदा नहीं करेगा।

12. That the security money deposited shall be liable to be forfeited or appropriated in the event of unsatisfactory performance of the **CONTRACTOR** and/or loss/damage, if any.

sustained by CIMAP on account of the failure or negligence of the workers deployed by him or in the event of breach of the agreement by the **CONTRACTOR**.

यह कि जमा की गई सुरक्षा राशि ठेकेदार के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या हानि/क्षति, यदि कोई हो, सीमैप द्वारा तैनात कर्मचारियों की विफलता या लापरवाही के कारण या ठेकेदार द्वारा समझौते के उल्लंघन की स्थिति में जब्त या विनियोजित की जा सकती है

13. **That** the security will be refunded to the **CONTRACTOR** within one month of the expiry of the contract only on satisfactory performance of the contract.

यह कि संविदा के संतोषजनक निष्पादन पर ही संविदा की समाप्ति के एक माह के भीतर संविदाकार को सुरक्षा वापस कर दी जाएगी।

14. **That the CONTRACTOR** shall keep the CSIR-CIMAP indemnified against all claims whatsoever in respect of the employees deployed by the **CONTRACTOR**. In case any employee of the **CONTRACTOR** so deployed enters into dispute of any nature whatsoever, it will be the primary responsibility of the **CONTRACTOR** to contest the same. In case CSIR-CIMAP is made party and is supposed to contest the case, the CSIR-CIMAP will be reimbursed for the actual expenses incurred towards counsel fee and the other expenditure, which shall be paid in advance by the **CONTRACTOR** to CSIR-CIMAP on demand. Further, the **CONTRACTOR** shall ensure that no financial or any other liability comes on CSIR-CIMAP in this respect of any nature whatsoever, and shall keep CSIR-CIMAP indemnified in this respect.

ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में सभी दावों के लिए ठेकेदार सीएसआईआर-सीमैप को क्षतिपूर्ति करेगा। यदि इस प्रकार तैनात ठेकेदार का कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ जाता है, तो इसका विरोध करना ठेकेदार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि सीएसआईआर-सीमैप को पक्षकार बना दिया जाता है और उसके मामले को लड़ने की अपेक्षा की जाती है, तो सीएसआईआर-सीमैप को वकील शुल्क और अन्य व्यय के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान ठेकेदार द्वारा सीएसआईआर-सीमैप को अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में सीएसआईआर-सीमैप पर कोई वित्तीय या कोई अन्य देनदारी न आए, और इस संबंध में सीएसआईआर-सीमैप को क्षतिपूर्ति रखेगा।

15. **That the CONTRACTOR** shall further keep the CSIR-CIMAP indemnified against any loss to the CSIR-CIMAP's property and assets. The CSIR-CIMAP shall have further right to adjust and/or deduct any of the amounts as aforesaid from the payment(s) due to the **CONTRACTOR** under this contract.

यह कि ठेकेदार आगे सीएसआईआर-सीमैप की संपत्ति में किसी भी नुकसान के खिलाफ सीएसआईआर-सीमैप को क्षतिपूर्ति करेगा। सीएसआईआर-सीमैप के पास इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय भुगतान (ओं) से पूर्वोक्त किसी भी राशि को समायोजित करने और/या कटौती करने का और अधिकार होगा।

16. **That the CONTRACTOR** shall provide uniform and rain coats/umbrellas in monsoons to the persons deployed by him in CIMAP for carrying out the work on demand. Further, the **CONTRACTOR** shall ensure this under the contract at his own cost and CSIR-CIMAP shall have no liability whatsoever on this account. The uniforms should bear the **Specific Identification Mark** of the **CONTRACTOR**. The color, pattern etc. regarding the uniforms shall be chosen by the **CONTRACTOR** in consultation with the CIMAP

यह कि ठेकेदार मांग पर काम करने के लिए सीमैप में उसके द्वारा तैनात व्यक्तियों को मानसून में वर्दी और रेन कोट/छाता प्रदान करेगा। इसके अलावा, ठेकेदार इसे अनुबंध के तहत अपनी लागत पर सुनिश्चित करेगा और इस खाते पर सीएसआईआर-सीमैप की कोई देनदारी नहीं होगी। वर्दी पर ठेकेदार का विशिष्ट पहचान चिह्न होना चाहिए। वर्दी के रंग, पैटर्न आदि का चयन ठेकेदार द्वारा सीमैप के परामर्श से किया जाएगा

17. **That the CONTRACTOR** shall ensure that the persons so deployed do not allow any property of the CSIR-CIMAP to be taken out of the premises without a gate pass signed by the designated authorities. The Lab will intimate to the **CONTRACTOR** the specimen signatures of the designated authorities signing the gate pass. Any change will be intimated in writing.

यह कि ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त किए गए व्यक्ति नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना सीएसआईआर-सीमैप की किसी भी संपत्ति को परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। लैब गेट पास पर हस्ताक्षर करने वाले नामित अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर के बारे में ठेकेदार को सूचित करेगा जिसमें कोई भी परिवर्तन लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

18. **That** it shall be the sole responsibility of the **CONTRACTOR** to ensure proper work and also ensure security and safety of all the property and assets movable and immovable of the

CIMAP and if there is any loss to the CIMAP on account of dishonesty, connivance and/or due to any cause the **CONTRACTOR** shall make good on demand the loss to the CIMAP. **The CONTRACTOR** shall report promptly to CIMAP any theft or pilferage that takes place or where any attempts are made to that effect and loss, if any, shall recovered from the **CONTRACTOR**.

कि उचित कार्य सुनिश्चित करना ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और सीमैप की चल और अचल सभी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अगर बेईमानी, मिलीभगत और/या किसी भी कारण से सीमैप को कोई नुकसान होता है ठेकेदार मांग पर सीमैप को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। ठेकेदार तुरंत किसी भी चोरी या उठाईगिरी की सूचना सीमैप को देगा या जहां उस प्रभाव के लिए कोई प्रयास किया जाता है और नुकसान, यदि कोई हो, ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

C. सीएसआईआर-सीमैप के दायित्व / CSIR-CIMAP OBLIGATIONS:

1. **That** in consideration of the services rendered by the **CONTRACTOR** as stated above, he will be paid at the rates as quoted by him. Such payment shall be made within ten days from the date of submission of the bill each month on the basis of the bills raised by the **CONTRACTOR** and duly certified by the officer designated by CIMAP in this regard. The bills should be raised by the **CONTRACTOR** after first making himself the payment of wages to the workers, if any. The **CONTRACTOR** will have to keep a proper record of trips made from time to time (as per the format given by the office) and get it signed by the users of CIMAP immediately after undertaking the trip. This record will have to be submitted by him and along with his bills for payment.

कि ऊपर बताए अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, उसे उसके द्वारा उद्धृत दरों पर भुगतान किया जाएगा। इस तरह का भुगतान प्रत्येक माह बिल जमा करने की तारीख से दस दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर किया जाएगा और सीमैप द्वारा नामित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। बिलों को ठेकेदार द्वारा पहले स्वयं को श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के बाद, यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठेकेदार को समय-समय पर (कार्यालय द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार) की गई यात्राओं का एक उचित रिकॉर्ड रखना होगा और यात्रा करने के तुरंत बाद सीमैप के उपयोगकर्ताओं द्वारा इस पर हस्ताक्षर करवाना होगा। यह रिकॉर्ड उसे और भुगतान के लिए अपने बिलों के साथ जमा करना होगा।

2. **That the CSIR-CIMAP** shall reimburse the amount of Goods & Service Tax, if any, paid by the **CONTRACTOR** to the authorities on account of the services rendered by him. This reimbursement shall be admissible on production of proof of deposit of the same by the **CONTRACTOR**.

यह कि सीएसआईआर-सीमैप माल और सेवा कर की राशि की प्रतिपूर्ति करेगा, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारण अधिकारियों को भुगतान किया जाता है। यह प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा उसी के जमा के प्रमाण के उत्पादन पर स्वीकार्य होगी।

D. दंड/दायित्व / PENALTIES/LIABILITIES:

1. **That the CONTRACTOR** shall be responsible for the faithful compliance of the terms and conditions of this agreement. In the event of any breach of the agreement, the same may be terminated and the security deposit will be forfeited and further the remaining work may be got done from another agency at the risk and cost of the **CONTRACTOR**.

कि ठेकेदार इस समझौते के नियमों और शर्तों के वफादार अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। अनुबंध के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, इसे समाप्त किया जा सकता है और सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और शेष कार्य ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी अन्य एजेंसी से किया जा सकता है।

2. **That** if the **CONTRACTOR** violates any of the terms and conditions of this agreement or commits any fault or their services are not found to the entire satisfaction of officer authorized by CIMAP in this behalf, a penalty leading to a deduction up to a maximum of 10% of the total amount of bill for the defaulting month will be imposed.

यह कि यदि ठेकेदार इस समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है या कोई गलती करता है या उनकी सेवाएं इस संबंध में सीमैप द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूरी संतुष्टि के लिए नहीं पाई जाती हैं, तो अधिकतम 10% तक की कटौती का जुर्माना उस चूक हुए माह के बिल की कुल राशि पर लगाया जाएगा।

E. प्रारंभ और समाप्ति / COMMENCEMENT AND TERMINATION:

1. **That** this agreement shall come into force with effect from Day of20..... and shall remain in force for a period of two years. The agreement may be extended on such terms and conditions as are mutually agreed upon.

कि यह करार 20..... के दिन से प्रभावी होगा। और एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। समझौते को ऐसे नियमों और शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है जो पारस्परिक रूप से सहमत हैं।

2. **That** this agreement may be terminated on any of the following contingencies:

कि यह समझौता निम्नलिखित में से किसी भी आकस्मिक स्थिति में समाप्त किया जा सकता है

a) On the expiry of the contract period as stated above.

ऊपर बताए अनुसार अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर

b) By giving one month's notice by CSIR-CIMAP on account of:

सीएसआईआर-सीमैप द्वारा एक महीने का नोटिस देकर

कारण:-

i) Committing breach by the **CONTRACTOR** of any of the terms and conditions of this agreement and

ठेकेदार द्वारा इस समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करना और

ii) On assigning the contract or any part thereof to any sub-contractor by the **CONTRACTOR** without written permission of **CSIR-CIMAP**.

सीएसआईआर-सीमैप की लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार द्वारा किसी उप-ठेकेदार को अनुबंध या उसके किसी भाग को सौंपने पर।

c) On **CONTRACTOR** being declared insolvent by competent Court of Law.

सक्षम न्यायालय द्वारा ठेकेदार को दिवालिया घोषित किए जाने पर

During the notice period for termination of the contract, in the situation contemplated above, the **CONTRACTOR** shall keep on discharging his duties as before till the expiry of notice period.

अनुबंध की समाप्ति के लिए नोटिस की अवधि के दौरान, उपरोक्त स्थिति में, ठेकेदार नोटिस अवधि की समाप्ति तक पहले की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा।

F. विवाद समाधान / DISPUTE RESOLUTION:

"In the event of any dispute or difference arising out of or in connection with this tender/contract, the parties shall first endeavor to settle the same amicably through mutual negotiations. Should such negotiations fail to reach a resolution within 30 days, the dispute shall be referred to arbitration in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended). The seat and venue of such arbitration shall be Lucknow, Uttar Pradesh. Subject to the arbitration clause, all legal proceedings arising out of this contract shall fall under the exclusive jurisdiction of the competent courts located in Lucknow only."

इस निविदा अथवा इससे उत्पन्न होने वाले अनुबंध के संबंध में यदि कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष सर्वप्रथम उसे आपसी बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। यदि विवाद 30 दिनों के भीतर हल नहीं होता है, तो इसे 'मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996' (संशोधित) के तहत मध्यस्थता (Arbitration) के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही का स्थान और केंद्र 'लखनऊ' होगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया के अधीन, इस अनुबंध से जुड़े सभी कानूनी मामलों के लिए विशेष क्षेत्राधिकार केवल लखनऊ स्थित सक्षम न्यायालयों का होगा।

G. मध्यस्थता / ARBITRATION:

1. In the event of any question, dispute/difference arising under the agreement or in connection herewith (except as to matters the decision of which is specially provided under this agreement) the same shall be referred to **India International Arbitration Centre (IIAC), New Delhi.**

समझौते के तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद/मतभेद की स्थिति में (उन मामलों को छोड़कर जिनका निर्णय इस समझौते के तहत विशेष रूप से प्रदान किया गया है) उसे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी), दिल्ली को भेजा जाएगा। हाईकोर्ट। नई दिल्ली।

2. The award of the arbitrator shall be final and binding on the parties.

मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।

3. The Arbitrator may give interim award(s) and/or directions, as may be required.

मध्यस्थ आवश्यकतानुसार अंतरिम अधिनिर्णय और/या निर्देश दे सकता है।

4. Subject to the aforesaid provisions, the Arbitration & Conciliation Act, 1996 and the rules made hereunder and any modification thereof from time to time being in force shall be deemed to apply to the arbitration proceedings under this clause.

पूर्वोक्त प्रावधानों के अधीन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए नियम और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी संशोधन को इस खंड के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू माना जाएगा।

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have signed these present on the date, month and year first above written.

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने पहले ऊपर लिखी तारीख, माह और वर्ष पर हस्ताक्षर किए हैं।

For and on behalf of
Council of Scientific & Industrial
Research, CIMAP, Lucknow.

For and on behalf of the Contractor

ठेकेदार के लिए और उसकी ओर से

WITNESS

गवाह

1. _____

2. _____

WITNESS

गवाह

1. _____

2. _____

CERTIFICATE

(DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/NON-BLACKLISTING FROM
TAKING PART IN GOVT. TENDER BY GOVT./GOVT. DEPT)

**(To be executed on Rs. 100/- e-stamp paper & attested by Public Notary/Executive
Magistrate by the bidder)**

I /We Proprietor/Partner (s)/Director (s) of M/s..... hereby
declare that the firm/ company.....namely
M/s.....has not been blacklisted or
debarred in the past by CSIR or any other Government organization from taking part in
Government tenders.

Or

I/We Proprietor/ Partner (s)/ Director (s) of M/s..... hereby
declare that the firm/company namely M/s.....
was blacklisted or debarred by CSIR-CIMAP/CSIR for taking part in Government tenders for
a period of..... year's i.e.,..... The period is over
on..... And now the firm/company is entitled to take part in Government
tenders.

In case the above information found false I/We are fully aware that the tender/contract will be
rejected/ cancelled by CSIR-CIMAP and EMD/SD shall be forfeited.

In addition to the above CSIR-CIMAP will not be responsible to pay the bills for any
completed/ partially completed work.

Signature.....

Name.....

Capacity in which as signed:

Name & address of the firm:

Dated:

Signature of Bidder with seal.

**In case of proprietorship firm, certificate will be given by the proprietor, and in case of
partnership firm, certificate will be given by all the partners and in case of Ltd.
Company by all the Directors of the company or secretary on behalf of all directors.**

Proforma for Bid Security Declaration
(Declaration to be submitted on Firm letter head duly stamped and signed)

Whereas, I/We(name of agency)
have submitted bids for
..... (name of work)
.....

I / We hereby submit following declaration **in lieu of submitting Earnest Money Deposit.**

1. If after the opening of tender, I/We withdraw or modify my/our bid during the period of validity of tender (including extended validity of tender) specified in the tender documents,
2. If, after the award of work, I/We fail to sign the contract, or failed to submit performance guarantee before the deadline defined in the tender documents,

I / We shall be suspended for two years and shall not be eligible to bid for CSIR tenders from date of issue of suspension order.

Signature of Contractor(s) with Rubber Stamp

CERTIFICATE

**(PROFORMA FOR NO NEAR RELATIVE (S) OF THE CONTRACTOR WORKING
IN DEPARTMENT OF CSIR- CIMAP)**

**(To be executed on Rs. 10/- e-Stamp paper & attested by Public Notary/Executive
Magistrate by the bidder)**

I..... S/O Sh.....

R/o.....

Hereby certify that none of my relative (s) as defined in the tender document is/are employed in CSIR- CIMAP as per detail given below. In case at any stage, it is found that the information given by me is false/incorrect, Institute/CSIR shall have the absolute right to take any action as deemed fit, without any prior intimation to me.

Signature of the tenderer with the seal

The near relative (s) means:

- a) Member of a Hindu Undivided family;
- b) They are husband and wife.
- c) The one is related to the other in manner as father, mother, son(s)&son's wife(daughter-in law), Daughter(s)& daughter's husband (son-in-law) brother(s) and brother's, wife, sister(s) sister's husband(brother-in-law)

In case of proprietorship firm, certificate will be given by the proprietor, and in case of partnership firm, certificate will be given by all the partners and in case of Ltd. Company by all the Directors of the company or company secretary on behalf of all directors. Any breach of these conditions by the company or firm or any other person, the tender/work will be cancelled and earnest money/security deposit will be forfeited at any stage whenever it is also noticed. The department will not pay any damages to the company or firm or the concerned person. The company or firm or the persons will also be debarred for further participation in the concerned unit.

Signature of the tenderer with seal